बिहार सरकार
उद्योग निदेशालय,बिहार,पटना।

प्रत्रांक............

पटना,दिनांक............
सं0सं0-03/उ0नि0/जनशिकायत मुख्यमंत्री सचि0-24/2016

प्रेषक :-

उद्योग निदेशक
बिहार,पटना।

सेवा में,

अवर सचिव,
मुख्यमंत्री सचिवालय
बिहार,पटना।

विषय :- मुख्यमंत्री सचिवालय से प्राप्त श्रीमती रूपा दत्ता (संदर्भ सं0-000011703160126) के आवेदन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक श्रीमती रूपा दत्ता द्वारा मुख्यमंत्री सचिवालय के माध्यम से निम्नवत जानकारी की मांग की गई है। जिसका उत्तर सामग्री निम्नवत है।

क्रमांक	मांगी गई सूचना	उत्तर
1	2	3
1.	श्रीमती रूपा दत्ता का आरोप है कि राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने हेतु उद्योग विभाग में पेन्टिग जमा की गई थी जो कि चोरी हो गई।	आवेदिका श्रीमती रूपा दत्ता के द्वारा तत्कालिन उद्योग निदेशक से बार-बार कहना कि राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने हेतु उद्योग विभाग में पेंन्टिग जमा की गई थी जो कि चोरी हो गई के आलोक में तत्कालिन उद्योग निदेशक द्वारा मामले का प्रथम दृष्टया संज्ञान लेते हुए आगत लिपिक को निदेशालय पत्राक/ज्ञापांक 3584 दिनांक 04.09.2015 के द्वारा निलम्बित कर दिया गया एवं प्रपत्र 'क' गठित किया गया।
2.	श्रीमती रूपा दत्ता द्वारा आर0टी0आई0 के माध्यम से सूचना मांगी गई थी जो कि अप्राप्त है।	आवेदिका का आर0टी0आई0 का आवेदन पत्र जो कि लोक सूचना पदाधिकारी सह उद्योग निदेशक उद्योग निदेशालय के माध्यम से प्राप्त हुआ था का निष्पादन कर इसकी सूचना लोक सूचना पदाधिकारी को निदेशालय के पत्रांक 660 दिनांक 15.02.16 के द्वारा उपलब्ध करा दी गई (प्रति संलग्न)
3.	श्रीमती रूपा दत्ता द्वारा उचित निर्णय लेने के लिए अनुरोध किया गया है।	निलम्बित आगत लिपिक, उद्योग निदेशालय के विरुद्ध आरोप की जॉच हेतु संचालन पदाधिकारी/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया जॉंचोपरान्त पाया गया कि जिला उद्योग केन्द्र, मधुबनी से कुल सात शिल्पियों का आवेदन पत्र राष्ट्रीय पुरस्कार हेतु प्राप्त हुआ था जिसमें से तीन आवेदन पत्र के साथ मधुबनी पेन्टिग से संबंधित आवेदन पत्र एवं पेपर पर बना मधुबनी पेंन्टिग संलग्न था तथा इसके अतिरिक्त अलग से कोई नमूना संलग्न नही था। आवेदन के साथ प्रपत्र एवं मधुबनी पेन्टिग जो पेपर पर बना हुआ था एवं अन्य कागजात अनुलग्नक के रूप में संलग्न था जिसकी मूल प्रति उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान पटना को उपलब्ध कराया गया था। अलग से कोई पेन्टिग नही जमा की गई थी, इसका आवेदिका के आवेदन में भी जिक्र नही किया गया है। आवेदिका के द्वारा पेन्टिग उपलब्ध ही नही कराया गया है तो निर्णय लेने का कोई आधार ही नहीं बनता है। (जॉच प्रतिवेदन संलग्न)

विश्वासभाजन,

ह0/-
उद्योग निदेशक
बिहार,पटना।

RANJAN KUMAR(KAMLESH SIR)22

ज्ञापांक............ पटना,दिनांक................

प्रतिलिपि :- उप सचिव उद्योग विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी-02 उद्योग निदेशालय/ श्रीमती रूपा दत्ता ग्राम+पो0-परौल जिला-मधुबनी पिन कोडः -84 7229 को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-

उद्योग निदेशक,

बिहार,पटना।

ज्ञापांक 2243 पटना,दिनांक 17.06.16

प्रतिलिपि :- आई0टी0 प्रबंधक उद्योग विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

उद्योग निदेशक,

बिहार,पटना।

RANJAN KUMAR(KAMLESH SIR)23